भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1844

उत्तर देने की तारीख : 31.07.2025

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

1844. श्री पी.वी. मिधुन रेड्डी:

डॉ. गुम्मा तनुजा रानी:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत निधि अंतरण की स्थिति क्या है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत कारीगरों को प्रदान की गई विपणन और ब्रांडिंग संबंधी सुविधाओं का स्वरूप क्या है; और

(ग) कारीगरों को सेवा के विस्तार हेतु भावी योजनाएं क्या हैं तथा कारीगरी संबंधी जोखिमों के लिए रियायती बीमा की क्या संभावना है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : पीएम विश्वकर्मा, दिनांक 17.09.2023 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका वर्ष 2023-24 से वर्ष 2027-28 तक 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल बजट परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए है। स्कीम के तहत संस्वीकृत और उपयोग की गई कुल धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	बजटीय आवंटन (करोड़ रुपए में)	उपयोग की गई धनराशि (करोड़ रुपए में)
2023-24	753.11	745.92
2024-25	3,993.78	3,993.10
2025-26	5,100	1,419.02 (दिनांक 28/07/25 तक)

(ख) : इस स्कीम के अंतर्गत, पूरे देश के पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को अपने हस्तशिल्पों को सजाकर लगाने, उसका प्रदर्शन करने और बिक्री हेतु व्यापार मेलों, राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों आदि में सहभागिता सहित विपणन सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम विश्वकर्मा लाभार्थियों को उनके उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न ई-कॉमर्स प्लेटफार्मों के माध्यम से ऑनलाइन विपणन सहायता भी प्रदान की जा रही है।

(ग) : आज की तारीख तक, कारीगरों के लिए सेवा विस्तार हेतु कोई योजना नहीं है, जिसमें कारीगरी से संबंधित जोखिमों के लिए रियायती बीमा की संभावना भी शामिल है।

******